न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2020/00004

1. रमेश चन्द आत्मज श्री केसरीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम कंवलदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
2. चेतन प्रकाश आत्मज श्री गोगराज जाति मीणा निवासी ग्राम कंवलदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. दुलीचन्द आत्मज हेमराज मीणा ।
2. राजेन्द्र आत्मज हेमराज मीणा ।
3. रामसिंह आत्मज हेमराज मीणा ।
4. लक्ष्मण सिंह आत्मज हेमराज मीणा ।
5. भंवर सिंह आत्मज हेमराज मीणा ।
6. प्रेमबाई पुत्री हेमराज मीणा ।
7. कस्तूरी बाई बेवा हेमराज मीणा निवासीगण अयाना तहसील पीपल्दा जिला कोटा।
8. लक्ष्मीचन्द पुत्र हीरालाल जाति मीणा ।
9. पुरूषोत्तम आत्मज श्री हीरालाल जाति मीणा ।
10. तुलसी बाई पुत्री श्री हीरालाल जाति मीणा ।
11. रामचन्द्री पुत्री श्री हीरालाल जाति मीणा निवासीगण ग्राम अयाना तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
12. राजस्थान सरकार जरिये राजकीय अभिभाषक, कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री भारत सिंह अडसेला, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री रघुवीर सिंह राठौड, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।
3. पैरोकार सरकार, रेस्पेडेन्ट कम 12 की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 18.08.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर, इटावा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02.07.2015 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण रेस्पोडेन्ट क्रम 1 लगायत 7 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम अयाना तहसील पीपल्दा जिला कोटा में सेटलमेंट से पूर्व खसरा नम्बर 840 रकबा 118 बीघा भूमि स्थित है । वादीगण के पिता व पति एवं प्रतिवादी क्रम 02 लगायम 5 के संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त में दर्ज चली आ रही है। बाद सेटलमेंट उक्त आराजी गत खसरा नम्बर 840 रकबा 118 बीघा अर्थात् 18.88 हैक्टर के हाल खसरा नम्बर 1262 रकबा 17.43 हैक्टर कायम किये गये । प्रतिवादी क्रम 01 के खाते की आराजी ग्राम आयाना में सेटलमेंट से पूर्व खसरा नम्बर 843 रकबा 08 बीघा 10 बिस्वा एवं सिवायचक पडत खसरा नम्बर 842 रकबा 03 बीघा 05 बिस्वा स्थित है । बाद सेटलमेंट गत खसरा नम्बर 842 रकबा 03 बीघा 05 बिस्वा के स्थान पर हाल खसरा नम्बर 1266 रकबा 1.66 हैक्टर कायम किये तथा गत रकबा 0.52 हैक्टर के स्थान पर 1.66 हैक्टर दर्ज कर रकबा 1.14 बढा कर दर्ज किया तथा गलत खसरा नम्बर 843 रकबा 08 बीघा 10 बिस्वा के बाद सेटलमेंट हाल खसरा नम्बर 1264 रकबा 0.91 हैक्टर, खसरा नम्बर 1267 रकबा 0.93 हैक्टर कुल 1.84 हैक्टर दर्ज करते हुए रकबा 0.48 हैकटर अधिक दर्ज किया । प्रतिवादी क्रम 01 के खाते में वादीगण के समीपस्थ खसरा नम्बर 2887 रकबा 1.92 हैक्टर स्थित है । सेटलमेंट विभाग द्वारा वादीगण तथा प्रतिवादी क्रम 02 लगायत 5 के संयुक्त खाते की आराजी का रकबा 118 बीघा अर्थात् 18.88 हैक्टर के स्थान पर 17.43 हैक्टर दर्ज किया गया तथा वादीगण की संयुक्त खाते की आराजी का रकबा गत रकबे की तुलना में 1.45 हैक्टर कम दर्ज किया गया तथा वादीगण की आराजी को सेटलमेंट विभाग द्वारा त्रुटिपूर्ण बिना किसी आधार व अधिकार के प्रतिवादी क्रम 01 के खाते की आराजी में रकबा बढा कर दर्ज कर दिया जिसका सेटलमेंट विभाग को कोई अधिकार नहीं था । वादीगण व प्रतिवादी क्रम 2 लागयत 5 को उक्त भूमि में से 2.68 हैक्टर भूमि सीलिंग में अधिग्रहण कर ली गई उसके बाद वादीगण व प्रतिवादीगण क्रम 2 लगायत 5 को खातेदार में खसरा नम्बर 1262 की 11.15 हैक्टर दर्ज कर दी गई जबकि 11.15 हैक्टर के स्थान पर 12.60 हैक्टर भूमि दर्ज की जानी चाहिए थी । कमी रकबा 1.45 हैक्टर को सिवायचक दर्ज कर दिया गया । वादग्रस्त आराजी में केचमेंट हो गया। बाद केचमेंट खसरा नम्बर 1262 रकबा 11.15 हैक्टर के स्थान पर बाद कटोती 10.31 हैक्टर, खसरा नम्बर 2842 की 0.71 हैक्टर, खसरा नम्बर 2862 की 1.25 हैक्टर, खसरा नम्बर 2863 की 3.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 2813 की 1.56 हैक्टर व खसरा नम्बर 2805 की 3.77 हैक्टर कुल 10.31 हैकटर दर्ज किया गया । वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 2 लगायत 5 की कमी रकबे की भूमि को सिवायचक दर्ज कर दिया ।

3. अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 2 लगायत 5 के साथ वादग्रस्त आराजी सेटलमेंट से पूर्व खसरा नम्बर 840 रकबा 118 बीघा (18.88 हैक्टर) बाद सेटलमेंट खसरा नम्बर 1236 रकबा 17.43 हैक्टर जो कि गत रकबे की तुलना में 1.45 हैक्टर कम दर्ज किया गया है कि पूर्ति प्रतिवादी क्रम 01 की कृषि भूमि हाल खसरा नम्बर 2887 रकबा 1.92 हैक्टर से की जाकर हाल खसरा नम्बर 2887 रकबा 1.92 हैक्टर में से 1.45 हैक्टर भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 2 लगायत 5 के खाते दर्ज की जावे तथा उक्त भूमि का वादी एवं प्रतिवादी क्रम 2 लगायत 5 को खातेदार घोषित किया जावे । वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 2 लगायत 5 के पक्ष में तथा प्रतिवादी क्रम 01 के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा

पारित की जावे कि प्रतिवादी कम 01 उक्त भूमि को किसी प्रकार की खुर्द–बुर्द नहीं करे । उक्त कृत्य न तो स्वयं करे और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02.07.2015 के द्वारा स्वीकार कर वाद वादीगण डिक्री कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02.07.2015 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी सरकारी सिवायचक है जिस पर अपीलान्ट विगत 15 वर्षों से काबिज काश्त हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना सीपीसी की पालना किये बिना उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02.07.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 2887 पर अपीलान्ट कम 1 व 2 पिछले 15 वर्षो से निरन्तर काबिज काश्त चले आ रहे हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से उनके हित प्रभावित हुए हैं वे प्रस्तुत अपील में हितबद्ध पक्षकार है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उन्हें अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे ।

7. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की अपीलान्ट को कोई जानकारी नहीं थी । उक्त निर्णय एवं डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 03.01.2020 को पटवारी हल्का द्वारा बतलाने पर हुई जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गईं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि वादीगण रेस्पोडेन्ट ने हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का परीक्षण न्यायालय में दावा पेश किया जिस पर परीक्षण न्यायालय ने त्रुटिपूर्ण रूप से खसरा नम्बर 2887 रकबा 1.92 हैक्टर आराजी में से 1.36 हैक्टर आराजी वादी के खाते दर्ज करने के आदेश पारित किये हैं । सीपीसी के प्रावधानों के विपरीत निर्णय पारित किया गया है । दस्तावेजों को प्रदर्शित किये बिना, साक्ष्य रिकॉर्ड पर लिये बिना पटवारी हल्का की एक पक्षीय रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया गया है । वादीगण का साबिक खसरा नम्बर 882 की

03 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 843 रकबा 08 बीघा 10 बिस्वा जो कि सरकारी सिवायचक थी और सेटलमेंट के उपरान्त इसके नये नम्बर 1266 रकबा 1.66 हैक्टर, खसरा नम्बर 1264 रकबा 0.91 हैक्टर, खसरा नम्बर 1267 रकबा 0.93 हैक्टर कायम किये गये । वादी अपीलान्ट का यह कथन कि सरकारी सिवायचक आराजी का रकबा अधिक दर्ज किया गया और खसरा नम्बर 2887 रकबा 1.92 हैक्टर में से अपनी कमी पूर्ति चाही । जबकि केचमेंट के बाद खसरा नम्बर 2887 में पूर्व के अनुसार ही रकबा दर्ज हुआ है । वादी के रकबे की पूर्ति इससे नहीं की जा सकती । इस पर वादी का कब्जा भी नहीं है । खसरा नम्बर 2887 की रकबा 1.92 हैक्टर आराजी में से अपीलान्ट कम 01 रकबा 0.96 हैक्टर, अपीलान्ट कम 02 रकबा 0.96 हैक्टर पर विगत 15 वर्षो से काबिज हैं जिससे कमी रकबे की पूर्ति नहीं की जा सकती । अपीलान्ट परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से प्रभावित हुए हैं । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02.07.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

10. रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट को अपील पेश करने का कोई अधिकार नहीं है । वादग्रस्त आराजी जिससे रकबे की कमी पूर्ति की गई है वह सरकारी सिवायचक है और अपीलान्ट को इसके बाबत् आपत्ति करने का लोकस–स्टण्डाई नहीं है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02.07.2015 बहाल रखा जावे ।

11. पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने त्रुटिपूर्ण रूप से विवादित आराजी रेस्पोडेन्ट के खाते दर्ज करने का आदेश पारित किया है ।

12. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । परीक्षण न्यायालय में वादीगण के द्वारा हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश किया है । दावा प्रतिवादी के जवाब में लम्बित था और इसको लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में न तो समस्त पक्षकारान उपस्थित हुए हैं और न ही कोई विधिक राजीनामा पेश किया गया है और उसी दिन तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त कर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करते हुए दावा वादी डिक्री किया गया है । निर्णय में खसरा नम्बर 2887 रकबा 1.92 हैक्टर जो कि नकल जमाबन्दी संवत् 2066–69 के अनुसार सरकार के खाते में बंजड के रूप में दर्ज है में से रकबा 1.36 हैक्टर से वादी के खाते की आराजी की कमी पूर्ति के आदेश पारित किये हैं । यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि परीक्षण न्यायालय के द्वारा सीपीसी की पालना किये बिना त्रुटिपूर्ण रूप से यह निर्णय पारित किया गया है परन्तु सरकार जिसके कि हित प्रभावित हुए हैं उनके द्वारा प्रकरण में अभी तक अपील पेश नहीं की गई है जो उचित नहीं है । निर्णय की एक प्रति जिला कलक्टर, कोटा को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे ।

13. अपीलान्टगण का यह कथन है कि वादग्रस्त आराजी जो कि सरकारी सिवायचक है उस पर वो बहैसियत अतिक्रमी काबिज है इस कारण उनका धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति दी जावे परन्तु इस कम में हमारा मत है कि अतिक्रमी को

सरकारी सिवायचक आराजी के बाबत् अपील पेश करने का कोई लोकस–स्टण्डाई नहीं है । सरकारी सिवायचक आराजी पर अतिक्रमी की हैसियत से कब्जे के आधार पर उन्हें प्रभावित पक्षकार नहीं माना जा सकता । तद्नुसार उनका धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है ।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट को अपील पेश करने हेतु कोई लोकस–स्टण्डाई नहीं होने से अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । सरकार की ओर से तहसीलदार, पीपल्दा परीक्षण न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय के खिलाफ अपील पेश करने के लिए स्वतंत्र हैं । निर्णय की एक प्रति जिला कलक्टर, कोटा एवं तहसीलदार पीपल्दा को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे ।

15. निर्णय आज दिनांक 18.08.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

18/8/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Judl/Govt.
Parrt 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 2020/00004

1. रमेश चन्द आत्मज श्री केसरीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम कंवलदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
2. चेतन प्रकाश आत्मज श्री गोगराज जाति मीणा निवासी ग्राम कंवलदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।

——अपीलार्थी

बनाम

1. दुलीचन्द आत्मज हेमराज मीणा ।
2. राजेन्द्र आत्मज हेमराज मीणा ।
3. रामसिंह आत्मज हेमराज मीणा ।
4. लक्ष्मण सिंह आत्मज हेमराज मीणा ।
5. भंवर सिंह आत्मज हेमराज मीणा ।
6. प्रेमबाई पुत्री हेमराज मीणा ।
7. कस्तूरी बाई बेवा हेमराज मीणा निवासीगण अयाना तहसील पीपल्दा जिला कोटा।
8. लक्ष्मीचन्द पुत्र हीरालाल जाति मीणा ।
9. पुरूषोत्तम आत्मज श्री हीरालाल जाति मीणा ।
10. तुलसी बाई पुत्री श्री हीरालाल जाति मीणा ।
11. रामचन्द्री पुत्री श्री हीरालाल जाति मीणा निवासीगण ग्राम अयाना तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
12. राजस्थान सरकार जरिये राजकीय अभिभाषक, कोटा ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02.07.2015 अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, इटावा जिला कोटा ।

वाद संख्याः 28/दावा/2012

1. दुलीचन्द आत्मज हेमराज मीणा ।
2. राजेन्द्र आत्मज हेमराज मीणा ।

3. रामसिंह आत्मज हेमराज मीणा ।
4. लक्ष्मण सिंह आत्मज हेमराज मीणा ।
5. भंवर सिंह आत्मज हेमराज मीणा ।
6. प्रेमबाई पुत्री हेमराज मीणा ।
7. कस्तूरी बाई बेवा हेमराज मीणा निवासीगण अयाना तहसील पीपल्दा जिला कोटा।

——वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पीपल्दा जिला कोटा ।
2. लक्ष्मीचन्द पुत्र हीरालाल जाति मीणा ।
3. पुरूषोत्तम आत्मज श्री हीरालाल जाति मीणा ।
4. तुलसी बाई पुत्री श्री हीरालाल जाति मीणा ।
5. रामचन्द्री पुत्री श्री हीरालाल जाति मीणा निवासीगण ग्राम अयाना तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय सहायक कलक्टर, इटावा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02.07.2015 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 18.08.2021 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से श्री भारत सिंह अडसेला एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री रघुवीर राठौड एवं रेस्पोडेन्ट कम 12 की ओर से पैरोकार सरकार के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपीलान्ट को अपील पेश करने हेतु कोई लोकस–स्टण्डाई नहीं होने से अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । सरकार की ओर से तहसीलदार, पीपल्दा परीक्षण न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय के खिलाफ अपील पेश करने के लिए स्वतंत्र हैं । निर्णय की एक प्रति जिला कलक्टर, कोटा एवं तहसीलदार पीपल्दा को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 18.08.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

18/8/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा